भारत सरकार
ग्रामीण विकास मंत्रालय
ग्रामीण विकास विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1176
(03 दिसंबर, 2024 को उत्तर दिए जाने के लिए)

ग्रामीण अवसंरचना विकास निधि

1176. डॉ. बायरेड्डी शबरीः

क्या**ग्रामीण विकास मंत्री**यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के पास आंध्र प्रदेश में ग्रामीण अवसंरचना विकास निधि (आरआईडीएफ) के अंतर्गत किए गए कार्यों से संबंधित कोई डेटा है यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या वित्त वर्ष 2023-24 के लिए नांदयाल क्षेत्र के लिए आरआईडीएफ के अंतर्गत कोई कार्य लिया गया था या वित्त वर्ष 2024-25 के लिए योजना बनाई गई थी , यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार के पास आंध्र प्रदेश में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एमजीएनआरईजीएस) के अंतर्गत लाभार्थियों को किए गए संदाय से संबंधित कोई डेटा है , यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या देश में मनरेगा के लाभार्थियों की आधार सीडिंग पूरी हो गई है , यदि हां, तो समय पर संदाय किया जाना सुनिश्चित करने के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) क्या सरकार ने मनरेगा के अंतर्गत कार्य दिवसों की संख्या और मजदूरी बढ़ाने के लिए कोई कदम उठाए है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
ग्रामीण विकास राज्य मंत्री
(श्री कमलेश पासवान)

(क) और (ख): ग्रामीण विकास मंत्रालय को पीएमजीएसवाई के तहत ग्रामीण सड़कों के निर्माण/उन्नयन के लिए वर्ष 2007-08 में 18,500 करोड़ रुपये का नाबार्ड ऋण मंजूर किया

गया था। यह ऋण 2007-08 से 2009-10 तक तीन किस्तों (2007-08 में 4500 करोड़ रुपये, 2008-09 में 7,500 करोड़ रुपये और 2009-10 में 6,500 करोड़ रुपये) में लिया गया था। इस ऋण राशि का उपयोग पीएमजीएसवाई कार्यों के निष्पादन के लिए समेकित पूल राशि के स्रोत के रूप में किया गया है। मंत्रालय द्वारा उक्त ऋण राशि पूरी तरह से चुका दी गई है। पिछले पांच वर्षों के दौरान आरआईडीएफ का प्रयोग करते हुए पीएमजीएसवाई के अंतर्गत कोई कार्य कार्यान्वित नहीं किया गया है।

(ग) महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (महात्मा गांधी नरेगा योजना) एक मांग आधारित मजदूरी रोजगार योजना है। केंद्र सरकार द्वारा मजदूरी भुगतान प्रत्यक्ष लाभ अंतरण प्रोटोकॉल के माध्यम से सीधे लाभार्थियों के खाते में जमा किया जाता है। वर्तमान वित्तीय वर्ष 2024-25 में (29.11.2024 तक की स्थिति अनुसार) आंध्र प्रदेश राज्य को मजदूरी श्रेणी के तहत 5495.1316 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं।

(घ): हां, देश में मनरेगा योजना के लाभार्थियों की आधार सीडिंग पूरी हो चुकी है और 29.11.2024 तक की स्थिति अनुसार सक्रिय श्रमिकों के 99.41% आधार नरेगा सॉफ्ट से जोड़ दिए गए हैं। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से अनुरोध किया गया है कि वे नरेगा योजना के लाभार्थियों के आधार संख्या को नरेगा सॉफ्ट से 100% जोड़ना सुनिश्चित करें। यदि राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों को आधार सीडिंग से संबंधित किसी भी तरह की समस्या या परेशानी का सामना करना पड़ता है, तो उसे प्राथमिकता के आधार पर हल किया जाता है।

(ङ): महात्मा गांधी नरेगा योजना के तहत कामगारों को एक साल में न्यूनतम गारंटीकृत दिनों को बढ़ाने की कोई योजना नहीं है। हालांकि , मंत्रालय ने वन क्षेत्र में रहने वाले प्रत्येक अनुसूचित जनजाति के परिवार को अतिरिक्त 50 दिन का मजदूरी रोजगार (निर्धारित 100 दिनों से अधिक) देने का प्रावधान अनिवार्य कर दिया है , बशर्ते कि इन परिवारों के पास वन अधिकार अधिनियम (एफआरए), 2006 के तहत दिए गए भूमि अधिकारों के अलावा कोई अन्य निजी संपत्ति न हो।

इसके अतिरिक्त, सूखा/प्राकृतिक आपदा प्रभावित अधिसूचित ग्रामीण क्षेत्रों में एक वित्तीय वर्ष में 50 दिनों तक अतिरिक्त मजदूरी रोजगार का प्रावधान है।

इसके अलावा, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम , 2005 की धारा 3(4) के अनुसार, राज्य सरकारें अपनी स्वयं की निधियों से अधिनियम के अंतर्गत गारंटीकृत अवधि के अलावा रोजगार के अतिरिक्त दिन उपलब्ध कराने का प्रावधान कर सकती हैं।

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (महात्मा गांधी नरेगा) , 2005 की धारा 6(1) के अनुसार, केन्द्र सरकार अधिसूचना द्वारा योजना के लाभाथयों के लिए अकुशल कार्य की मजदूरी दर विनिर्दिष्ट कर सकती है। तदनुसार , ग्रामीण विकास मंत्रालय राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए प्रत्येक वित्तीय वर्ष हेतु महात्मा गांधी नरेगा मजदूरी दर अधिसूचित करता है। महात्मा गांधी नरेगा कामगारों को महंगाई से निपटने के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय कृषि श्रम संबंधी उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई-एएल) में परिवर्तन के आधार पर प्रत्येक वित्तीय वर्ष में मजदूरी दर संशोधित करता है।

वित्त वर्ष 2023-24 से वित्त वर्ष 2024-25 के लिए मजदूरी दर में कुल प्रतिशत वृद्धि लगभग 7% है।

****